

पत्रांक-श्रम क० स०-04/2016-363

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
संशोधित आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 108 दिनांक 09.03.2018 द्वारा खाता संख्या 31270110005432, आई.एफ.एस.सी UCBAORRBBKG में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के अन्य कारण से राशि का अंतरण नहीं हो सका।

श्रम अधीक्षक, लखीसराय के पत्रांक 254 दिनांक 06.7.19 द्वारा प्राप्त त्रुटि परिमार्जन कर बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 108 दिनांक 9.3.18 के क्रमांक 05 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार	जिलापदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विनोद रजक, 48, श्री फौदारी रजक, अनु० जाति	श्रीमती फुदकी देवी(पत्नी)	93/26.4.17	ग्रा०-पचना रोड, संसार पोखर, लखीसराय, पो०+था०+जि०- लखीसराय	31270110 061427	बिहार ग्रामीण बैंक, पचना रोड संसार पोखर, लखीसराय, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण श्रमिक

कुल :- ₹ 30000/-
(तीस हजार रूपए मात्र)

2. शेष कडिका यथावत रहेगा।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-04/2016

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह० /-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-04/2016-363


पटना, दिनांक :- ०५-११-१९


प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।